

बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

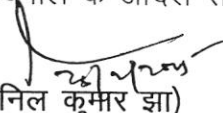
अधिसूचना

एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-01-2001/2020-270/51 पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में क्रय किये गये गन्ने पर भुगतये क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का 1.80 (एक दशमलव आठ शून्य) प्रतिशत से घटाकर 0.20 (शून्य दशमलव दो शून्य) प्रतिशत के रूप में पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

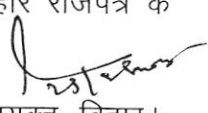
उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन दिनांक-13.02.2025 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

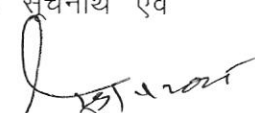
एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-01-2001/2020-270/51 पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी, वित्त विभाग (ई-गजट, प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

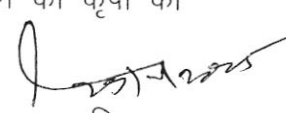
एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-01-2001/2020-270/51 पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

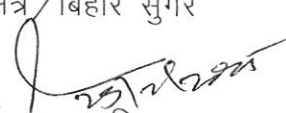
एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-01-2001/2020-270/51 पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि परिषद् के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु वित्त विभाग से एक अंकेक्षक की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाय।


ईखायुक्त, बिहार।

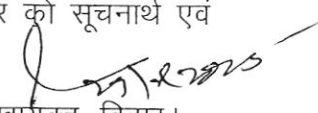
एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-01-2001/2020-270/51 पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/निजी क्षेत्र की सभी चीनी मिलें/बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स/सी० आई०आई०, पटना क्षेत्र/बिहार सुगर मिल एसोसियेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

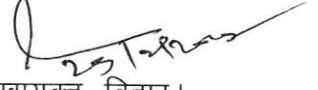

ईखायुक्त, बिहार।

एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-01-2001/2020-270/51 पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

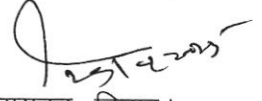
प्रतिलिपि:-ईखायुक्त, बिहार, पटना/सभी संबंधित क्षेत्रीय विकास परिषदों के अध्यक्ष-सह-जिला पदाधिकारी/सचिव-सह-ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सभी सहायक ईखायुक्त/बजट शाखा/सांख्यिकी शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-01-2001/2020-^{27/2}पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025
 प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग
 विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


 ईखायुक्त, बिहार।

एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-01-2001/2020-^{27/2}पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025
 प्रतिलिपि-आई. टी. प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट
 पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


 ईखायुक्त, बिहार।